

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र प्रीति बिहार,
नई दिल्ली।

पत्रांक:सी०/ ————— /एन०ओ०सी०/2025-26 दिनांक: ०३.०५.२०२५

विषय:-जी०डी० गोयनका पब्लिक स्कूल, फर्लखाबाद रोड, छिबरामऊ, कन्नौज को सी०बी०
एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०:१९१६/ १५-७-०९-०१(२९९) / २००७ दिनांक १४-०७-२००९
एवं शासनादेश सं०-२१४४/ १५-०७-२०२०-१(३४) / २०२० दिनांक ०७-०१-२०२१ में प्राविधानित
व्यवस्थानुसार गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक २५-०४-२०२५ में लिए गये निर्णयानुसार
जी०डी० गोयनका पब्लिक स्कूल, फर्लखाबाद रोड, छिबरामऊ, कन्नौज को सी०बी०एस०ई० नई
दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी की समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक, उ०प्र० द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत रथान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
5. संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।



Open
Secretary
(C.D.Govt. Public School)
Furnishwall Road, Chhatarpur, New Delhi
9810101010

9. उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और उक्त प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बायलॉज में समाविष्ट कराना अनिवार्य होगा। यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, साथ ही यदि कोई तथ्य छिपा हुआ पाया जाता है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(मनोज कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
कानपुर मण्डल, कानपुर

पृ०सं०:सी०/ ८०७-१५ /2025-26 तददिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1— सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उ०प्र० शासन शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ।
- 2— आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 3— जिलाधिकारी, कन्नौज।
- 4— शिक्षा निदेशक(मा०) उ०प्र० शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड लखनऊ।
- 5— जिला विद्यालय निरीक्षक, कन्नौज।
- 6— निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7— प्रबन्धक / सचिव, जी०डी० गोयनका पब्लिक स्कूल, फर्रुखाबाद रोड, छिबरामऊ, कन्नौज।
- 8— गार्ड फाइल।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
कानपुर मण्डल, कानपुर



Open
Secretary
G.D. Goenka Public School
Farrukhabad Road, Chhitrakau-Kannauj